उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन),
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

पत्रांकः 10002/यू0पी0रेरा/पंजीयन वापसी/2021–22 दिनांकः 17, नवम्बर, 2021

<u>कार्यालय आदेश</u>

उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ0प्र0 रेरा) में पंजीकृत परियोजनाओं के पंजीयन वापसी संबंधी मानक प्रकिया (Standard Operating Procedure) का निर्धारण।

प्रमोटर द्वारा अपनी उ.प्र. रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं के पंजीयन वापसी हेतु मानक प्रकिया पर प्राधिकरण द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया हैः–

प्रमोटर द्वारा एक **हिन्दी** एवं एक **अंग्रेजी** ख्याति प्राप्त (व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले) समाचार पत्र में स्वयं के व्यय से विज्ञप्ति (08 सेमी X 10 सेमी) प्रकाशित करानी होगी कि–

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

"मैं प्रमोटर <Promoter Name> व्यक्तिगत कारणों से उ0प्र0 रेरा में पंजीकृत परियोजना <Project Name> पंजीयन संख्या <Project Registration No.> का सरेन्डर/कैन्सिलेशन/निरस्तीकरण करा रहा हूँ। किसी व्यक्ति/संस्था आदि द्वारा इस परियोजना में यदि कोई बुकिंग करायी गई हो तो कृपया अपना क्लेम/दावा प्रस्तुत करें। उक्त क्लेम/दावा को विवरण सहित 15 दिनों के अन्दर उ0प्र0 रेरा की ईमेल आईडी ***contactuprera@up-rera.in*** *पर भी भेजा जाए तथा क्लेम/दावा विवरण को सचिव, उ0प्र0 रेरा मुख्यालय, नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007 को प्रेषित किया जाए।"*

<Promoter Name>
<Promoter Email Id>

1. प्रमोटर द्वारा उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिनों के पश्चात निम्नानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

<u>शपथपत्र का प्रारूप (प्रत्येक परियोजना के लिए अलग–अलग शपथपत्र)</u>

मैं *<Promoter/Director/Partner Name>* प्रमोटर/डायरेक्टर/पार्टनर *<Promoter Name>* उ.प्र. रेरा में पंजीकृत परियोजना *<Project Name>* *पंजीयन* संख्या *<Project Registration No.>* के निरस्तीकरण हेतु शपथ पूर्वक यह बयान देता हूं किः–

(i) समाचार पत्र में प्रकाशन सम्बन्धित निर्देश बिन्दु–2.1 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है जिसकी मूल प्रतियां संलग्न की गयी हैं।

(ii) किसी व्यक्ति/संस्था आदि की कोई भी बुकिंग धनराशि या भुगतान, उस व्यक्ति/संस्था को नियमानुसार बुकिंग की शर्तों के अनुसार वापस कर दिया गया है। अब हमारे (प्रमोटर/रेरा पोर्टल) पर किसी भी संस्था/व्यक्ति का इस परियोजना में सम्मिलित कोई भी भुगतान लम्बित नहीं है।

(iii) प्रमोटर/स्वयं द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाओं की पूर्ण जिम्मेदारी ली जा रही है।

(iv) किसी भी स्तर पर शपथपत्र में कोई गलत सूचना पाये जाने पर प्रमोटर (हमारे) विरूद्व विधिक कार्यवाही की जाए।

2. प्रमोटर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा यह भी अवगत करायें कि उ.प्र. रेरा बेंच में कोई शिकायत/आपत्ति अनिस्तारित नहीं है एवं रेरा द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

(राजेश कुमार त्यागी)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः

(1) मा0 अध्यक्ष, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अवलोकनार्थ कृपया।

(2) समस्त मा0 सदस्यगण, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अवलोकनार्थ कृपया।

(3) प्रमुख सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
(4) विधि सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
(5) वित्त नियंत्रक, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
(6) तकनीकी सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
(7) श्री डी0के0 सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंट, क्षे.का. ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्ध नगर।
(8) संयुक्त सचिव/उप सचिव, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
(9) सहायक निदेशक (सिस्टम्स), उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।

(राजेश कुमार त्यागी)
सचिव